

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./65/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/110

1. विष्णु कुमार पुत्र जगदीश जाति बाहमण निवासी बड़गांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. चन्द्रदेव पुत्र जगदीश जाति बाहमण निवासी बड़गांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. महेन्द्र पुत्र जगदीश जाति बाहमण निवासी बड़गांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. महेश पुत्र जगदीश जाति बाहमण निवासी बड़गांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. रामकृष्ण पुत्र जगदीश जाति बाहमण निवासी बड़गांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. श्रीकृष्ण पुत्र जगदीश जाति बाहमण निवासी बड़गांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. गंगादेवी पत्नि जगदीश जाति बाहमण निवासी बड़गांव तहसील भिनाय जिला अजमेर(फौत)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील-भिनाय जिला-अजमेर।  
अप्रार्थी

## निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-30.05.2025

- उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री शिवकुमार जोशी  
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बड़गांव पटवार क्षेत्र बड़गांव भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 166 में दर्ज खसरा संख्या 1049 रकबा 0.17, खसरा संख्या 1098 रकबा 0.18, खसरा संख्या 1101 रकबा 0.12, खसरा संख्या 1250 रकबा 0.94, खसरा संख्या 1251 रकबा 1.01, खसरा संख्या 2453 रकबा 0.48, खसरा संख्या 2467 रकबा 0.22, खसरा संख्या 2661 रकबा 0.13, खसरा संख्या 626 रकबा 1.50, खसरा संख्या 627 रकबा 1.32 और खसरा संख्या 641 रकबा 0.07 कुल किता 11 कुल रकबा 6.14 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश करते हुए, मुताबिक राजस्व प्रश्नगत आराजीयात खातेदारी आराजीयात बताकर प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब अनुसार कथन दौहराये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम बड़गांव के खाता संख्या 166 संवत 2074-2077(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा बड़गांव पटवार क्षेत्र बड़गांव भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 166 में दर्ज खसरा संख्या 1049 रकबा 0.17, खसरा संख्या 1098 रकबा 0.18, खसरा संख्या 1101 रकबा 0.12, खसरा संख्या 1250 रकबा 0.94, खसरा संख्या 1251 रकबा 1.01, खसरा संख्या 2453 रकबा 0.48, खसरा संख्या 2467 रकबा 0.22, खसरा संख्या 2661 रकबा 0.13, खसरा संख्या 626 रकबा 1.50, खसरा संख्या 627 रकबा 1.32 और खसरा संख्या 641 रकबा 0.07 कुल किता 11 कुल रकबा 6.14 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 500 / - रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।  
निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनील कुमार झिंगोनिया)

उपखण्ड अधिकारी  
बिनाय, अजमेर  
बिनाय (अजमेर)